

# कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail - vacancygmshahdol@gmail.com, Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG, Office No. :- 07652-243000

कमांक/1922/स्था./एम.सी./2020

शहडोल, दिनांक 1/6/2020

## विज्ञप्ति


संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) महामारी से बचाव हेतु आवश्यक मानव संसाधन (वार्ड ब्वाय, आया, ऑक्सीजन टेक्नीशियन एवं आई.सी.यू. टेक्नीशियन) की अस्थाई नियुक्ति (03 माह के लिए) (कलेक्टर जिला शहडोल का पत्र कमांक/तीन (एक)/वित्त/2020/2400 शहडोल, दिनांक 23.04.2020) (कलेक्टर दर) पर एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के मापदंडानुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल से संबद्ध नवनिर्मित डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कार्य करने हेतु की जानी है। जिसकी नियुक्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 06.06.2020 समय सायं 05 बजे तक, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चांपा शहडोल (म.प्र.) पिन - 484001 में आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्रं.	पदनाम	पद संख्या
1.	ICU टेक्नीशियन	04
2.	वार्ड ब्वाय	36
3.	आया	22
4.	ऑक्सीजन टेक्नीशियन	05

\*पदों की संख्या बढ़ायी या घटाई जा सकती है।

- उपरोक्त नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु की जा रही है। जिसकी अवधि कुल 3 माह की होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ाई-घटाई जा सकती है।
- चयन प्रक्रिया हेतु किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चाँपा शहडोल (म.प्र.) पिन 484001 में दिनांक 06.06.2020 सायं 05 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र में पद का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। उपरोक्त निर्धारित तिथि/समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों का मासिक मानदेय (कलेक्टर जिला शहडोल का पत्र कमांक/तीन (एक)/वित्त/2020/2400 शहडोल, दिनांक 23.04.2020) (कलेक्टर दर) एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के मापदंडानुसार देय होगा।
- अधिक जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के वेबसाइट [www.gmcshahdol.org](http://www.gmcshahdol.org) पर उपलब्ध है। कृपया समय-समय पर उसका अवलोकन करें।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

## पद का नाम, संख्या, शैक्षणिक योग्यता, एवं वांछनीय अर्हतायें संबंधी विवरण

स.क्रं.	पदनाम	योग्यता	पद संख्या	मसिक मानदेय प्रतिमाह
1	ICU टेक्नीशियन	ICU टेक्नीशियन का डिप्लोमा तथा जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र	04	15000/- प्रतिमाह (एन.एच. एम. द्वारा निर्धारित मानदेय)
2	वार्ड ब्वाय	कम से कम आठवीं पास	36	8275.00 प्रतिमाह (कलेक्टर दर )
3	आया	कम से कम आठवीं पास	22	8275.00 प्रतिमाह (कलेक्टर दर )
4	ऑक्सीजन टेक्नीशियन	आई.टी.आई. एवं संबंधित पद पर कार्य करने का अनुभव	05	10510.00 प्रतिमाह (कलेक्टर दर )

### वार्ड ब्वाय/आया पद के लिए -

- शासकीय/अशासकीय विभाग में कार्य करने वाले अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 7-22/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 30 मई 2019 के अनुपालन में जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
- उक्त पद हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष की होनी अनिवार्य है।

### निरर्हतायें :-

- विकृत्त चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा-किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- **विवाह संबंधी :** जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।



- जिस आवेदक की 02 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उससे पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।)
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी - मानसिक रूप से स्वस्थ न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक की वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए, तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।

**महत्वपूर्ण टीप :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर अथवा उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)